

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 480]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 सितम्बर 2018—भाद्र 13, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्र. एफ-ए-3-61-2017-1-पांच (77).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-61-2017-1-V-(50), दिनांक 31 मई, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित अनुक्रमांक और प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :-

“(क) श्री बसंत कुर्रे, राज्य कर विशेष आयुक्त”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्र. एफ-ए-3-61-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-61-2017-1-पांच (77), दिनांक 4 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 4th September 2018

No. F-A 3-61-2017-1-V(77).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 123 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F-A-3-61-2017-1-V-(50), dated 31st May 2018, namely :—

AMENDMENT

In the said notification the Serial No. (a) and entries thereto shall be substituted by following Serial No. (a) and entries :—

"(a) Shree Basant Kurre, Special Commissioner of State Tax".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.